संख्या';पी-37/14-2-2015-800(93)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 24 सितम्बर, 2015

विषय- जनपद सम्भल में बी0एस0एन0एल0 द्वारा राजमार्ग संख्या-18 किमी0 143 से 162.500 तक (20किमी0) राष्ट्रीय राजामार्ग संख्या- 93 (डिबाई-बवराला-चन्दौसी मार्ग) किमी0 141 से 148 तक (07 किमी0) दांयी पटरी पर कुल 27 किमी0 लम्बाई में ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के पत्र संख्या-8बी/यूपी/09/181/2013/एफसी/1435, दिनांक 13-01-2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा पत्र संख्या-8बी/यूपी/09/181/2013/एफसी/415, दिनांक 29-7-2015 द्वारा विधिवत स्वीकृति तत्क्रम में अपने पत्र संख्या-277/ओ0एफ0सी0-बी0एस0एन0एल0-सम्भल, दिनांक 07-8-2015, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का देश हुआ है कि जनपद सम्भल में बी0एस0एन0एल0 द्वारा राजमार्ग संख्या-18 किमी0 143 से 162.500 तक (20किमी0) राष्ट्रीय राजामार्ग संख्या- 93 (डिबाई-बवराला-चन्दौसी मार्ग) किमी0 141 से 148 तक (07 किमी0) दांयी पटरी पर कुल 27 किमी0 लम्बाई में ओ0एफ0सी0 डालने हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष् पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबन्धों एवं राज्य सरकार के शर्तो/प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुये एतदद्वारा विज्ञप्ति (Notification) निर्गत किया जाता है:-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 2.430 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3)भा0स0 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-5-3/2007 एफसी, दिनांक 05-02-2009 के अनुसार एन0पी0वी0 देय नहीं होगी।

(4) भा0स0 ओ0एफ0सी0 डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/gointra

(5) भा0स0 ओ0एफ0सी0 डालने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.45 x 1.0 मी0 में ही की जायेगी।

(6) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, खुदाई सुरक्षित रूप् से की जायेगी।

(7) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(8) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(9) भा0स0 प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आपस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने याभरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(10) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ओ0एफ0सी0 डालने के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(12) भा0स0 प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं स्तम्भ पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(13) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथ्वा असंतोषजनक होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।

(15) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(16) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(17) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

shasanadesh.up.nic.in/so/intra

(18) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(19) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

(20) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

(21) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(22) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

(23) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(24) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(25) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(26) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

2- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:पी-37(1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
(4)- जिलाधिकारी, सम्भल ।
(5)- प्रभागीय वनाधिकारी,सम्भल वन प्रभाग,सम्भल ।
(6)- मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, डी 13/15 देव विहार कालोनी, मुरादाबाद।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/bo/intra